न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2017

दायर दिनांकः 05.04.2017

उनवान

1. देवेन्द्र कुमार आत्मज स्व0 जसवन्त आयु 13 वर्ष
2. करिश्मा पुत्री स्व0 जसवन्त आयु 11 वर्ष
3. करीना पुत्री स्व0 जसवन्त आयु 9 वर्ष
4. जिया पुत्री स्व0 जसवन्त आयु 7 वर्ष
5. निष्या पुत्र स्व0 जसवन्त आयु 5 वर्ष

नाबालिगान जरिये वलीया दादी पुष्पा बाई बेवा कन्हैयालाल जी जाति मीणा निवासीगण खुरी तहसील अटरू जिला बारां।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गायत्री बाई बेवा जसवन्त जी जाति मीणा निवासी ग्राम खुरी तहसील अटरू जिला बारां।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री अमर सिंह कुशवाह

आदेश

दिनांक 26.10.2017

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 एक ही परिवार के सदस्य है। जो जसवन्त जी के वारिसान है। प्रतिवादी क्रम क्रमशः प्रार्थीगण की माता है, व प्रार्थीगण प्रतिपक्ष नं• 1 की सन्तान यानी पुत्र व पुत्री है तथा मृतक जसवंत जी के वारिसयान है, तथा पुष्पा बाई प्रार्थीगण की दादी व वलिया है। वर्तमान में ग्राम खुरी पटवार क्षैत्र खुरी तहसील अटरू जिला बारां में ख0नं0 858 की 7.59 है0 भूमि खाता नं0 109 नया व 104 पुराना पर दर्ज चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 तथा अन्य खातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है। जो वादीगण की पुश्तेनी भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण प्रतिपक्षी नं0 1 का 7/16 हिस्सा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070से 2073 पेश है। इसी प्रकार ग्राम खुरी पटवार क्षैत्र खुरी तहसील अटरू जिला बारां में ख0नं0 228 की 1.90 है0 भूमि खाता नं0 110 नया व पुराना पर दर्ज चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण प्रतिपक्षी नं0 1

Scanned by CamScanner

तथा अन्य खातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है। जो वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 का 1/4 हिस्सा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 पेश है। इसी प्रकार ग्राम खुरी पटवार क्षैत्र खुरी तहसील अटरू जिला बारां में ख0नं0 859/1623 की 0.06 है0, ख0नं0 921 की 0.27 है0, ख0नं0 1185 की 0.72 है0, ख0नं0 1745/1382 की 1.20 है0 भूमि कुल 4 किता की 2–25 है0 भूमि खाता नं0 99 नया व 94 पुराना पर दर्ज चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 तथा अन्य खातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है। जो वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण प्रतिपक्षी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 पेश है। इसी प्रकार ग्राम अटरू पटवार क्षैत्र अटरू तहसील अटरू जिला बारां में ख0नं0 690 की 0.14 है0, ख0नं0 2011/729 की 0.50 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी व 0–19 है0 कृषि भूमि कुल 2 किता की 1–03 है0 भूमि खाता नं0 181 नया व 126 पुराना पर दर्ज चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण प्रतिपक्षी नं0 1 के शामलाती खाते में दर्ज है। जो वादीगण की पुश्तेनी भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 का बराबर बराबर हिस्सा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 पेश है। उपरोक्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 की पुश्तैनी भूमि है, प्रार्थीगण नाबालिग है और प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिपक्षी नं0 1 प्रार्थीगण की माता है। जो प्रार्थीगण के हितों के विपरीत उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों को बैचान करने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिपक्षी नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 1 प्रार्थीगण नाबालिग के अधिकारों की अनदेखी कर भूमि को रहन बैचान करने पर आमादा है। इसकी जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी नं0 1 से भूमि बैचान नहीं करने दिनांक 15.03.2017 को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 इन्कार हो गयी और वादीगण को एक इंच भूमि भी देने से इन्कार कर दिया व कहा कि वह सारी भूमि वैचान करके रहेगी। प्रतिपक्षी नं0 1 के उक्त कृत्य से नाबालिगान के हित प्रभावित होगें तथा प्रार्थीगण की आजीविका का साधन समाप्त हो जावेगा। उक्त भूमि ही आजीविका का एक मात्र साधन है। यदि प्रतिपक्षी नं0 1 को उक्त अवैध कृत्य करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थीगण अपने अधिकारों से वंचित रह जायेगे व प्रार्थीगण का दावा पेश करना ही बैकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावें प्रतिपक्षी नं0 1 ग्राम खुरी पटवार क्षैत्र खुरी तहसील अटरू जिला बारां की ख0नं0 858 की 7.59 है0 भूमि के 7/16 हिस्से को, ख0नं0 228 की 1.909 है0 भूमि के 1/4 हिस्से को, ख0नं0 859/1623 की 0.06 है0, ख0नं0 921 की 0.27 है0, ख0नं0 1185 की 0.72 है0, ख0नं0 1745/1382 की 1.20 है0 भूमि कुल 4 किता की 2–25 है0 भूमि के 1/2 हिस्से को एवं ग्राम अटरू पटवार हल्का अटरू जिला बारां की ख0नं0 690 की 0.14 है0 ख0नं0 2011/729 की 0.50 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी व 0–19 है0 कृषि भूमि कुल 2 किता की 1–03 है0 भूमि को अथवा प्रार्थीगण के

Scanned by CamScanner

हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द व बैचान तथा अन्तरण नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से करावें तथा रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण 1 ल 2 बावजूद सूचना उपस्थित न होने से अप्रार्थीगण 1 ल 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

उभय पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया, विवादित आराजी ग्राम खुरी की खाता संख्या 109 की ख0नं0 858 रकबा 7.59 है0 व खाता संख्या 110 की ख0नं0 228 रकबा 1.90 है0 व खाता सं0 99 ख0नं0 859/1623 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 921 रकबा 0.27 है0 ख0नं0 1185 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 1745/1382 रकबा 1.20 है0 कुल किता 4 रकबा 2.25 है0 तथा ग्राम अटरू की खाता सं0 690 रकबा 0.14 है0, 2011/729 रकबा 0.89 किता 2 रकबा 1.03 है0 भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है।

अप्रार्थीया उक्त आराजीयात को बैचान करने पर आमादा है। अतः प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से अप्रार्थीया को पाबन्द किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थिया क्रम 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी ग्राम खुरी की खाता संख्या 109 की ख0नं0 858 रकबा 7.59 है0 खाता संख्या 110 की ख0नं0 228 रकबा 1.90 है0 खाता सं0 99 ख0नं0 859/1623 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 921 रकबा 0.27 है0 ख0नं0 1185 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 1745/1382 रकबा 1.20 है0 कुल किता 4 रकबा 2.25 है0 तथा ग्राम अटरू की खाता सं0 690 रकबा 0.14 है0, 2011/729 रकबा 0.89 किता 2 रकबा 1.03 है0 में प्रार्थीगण की भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व बैचान तथा हस्तान्तरण नहीं करें ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Scanned by CamScanner